प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.09.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 10 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे० रविन्दर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में अपराध नियंत्रण हेतु 10 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	अपराधी का नाम	थाना
1	प्रश्नजीत पुत्र अशोक कुमार नि० गली नं0 03 म0नं0 524 गुरूद्वारे के सामने भाटिया मोड थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष	सिहानी गेट
2	दीपक पुत्र बिजेन्द्र सिंह नि० 72 लक्ष्मी बिहार कालोनी बसंत रोड निकट मालीबाडा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद। उम्र 35 वर्ष	सिहानी गेट
3	साहिल पुत्र बाबू नि० म०नं० 1111 गली नं० 10 सेवानगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद। उम्र 26 वर्ष	नन्दग्राम
4	रवि उर्फ विश्राम पुत्र विजयपाल नि० ग्राम अटोर थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 35 वर्ष	नन्दग्राम
5	हरेन्द्र कसाना पुत्र स्व० जयप्रकाश कसाना नि० म०नं० 562 गली नं0 3 कृष्णानगर थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 35 वर्ष	नन्दग्राम
6	आदिल उर्फ जुबैर पुत्र अकरम नि० गली नं0 04 चरण सिंह कालोनी थाना विजयनग गाजियाबाद। उम्र 24 वर्ष	विजयनगर
7	शोएब पुत्र शाहिद नि० म०नं० 786 मिर्जापुर से0 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद। उम्र 23 वर्ष	विजयनगर
8	बबलू चौधरी उर्फ इसरार पुत्र फतेह मोहम्मद नि० म०नं0 786 मिर्जापुर से० 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद। उम्र 48 वर्ष	विजयनगर

9	हर्ष पुत्र आदेश कौशिक नि० खारा कुंआ ग्राम रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद। उम्र 18 वर्ष	कविनगर
10	अरूण पुत्र हरेन्द्र चौधरी नि० खारा कुंआ ग्राम रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद। उम्र 30 वर्ष	कविनगर

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व दोनों अभियुक्तों की निशानदेही से 02 अन्य चोरी की मोटर साइकिल (कुल 03 मोटर साइकिल) बरामद।

दिनांक 04.05.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी अर्पित सिंह निवासी 149 ए रीजेन्ट शिप्रा सन सिटी गाजियाबाद पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 03.05.2025 को मदर टेरेसा स्कूल के पास मेरी मोटर साइकिल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त क्रम में दिनांक 25/26.09.2025 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. अभिषेक त्यागी उर्फ गुल्लू पुत्र सत्यप्रकाश त्यागी निवासी म0न0 39 बाबा हेल्थ के पास मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष व 2. मुकुल उर्फ कालू पुत्र कृष्ण कुमार त्यागी निवासी निकट माता चौक मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को शिप्रा रिवेरा इन्दिरापुरम से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा दोनों अभियुक्तों की निशानदेही से वैशाली की तरफ 5/6 की पुलिया से 02 अन्य चोरी की मोटर साइकिल (कुल 03 मोटर साइकिल) बरामद। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2),3(5) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त से बरामद मोटर साइकिल को कुछ माह पूर्व सेंट टेरेसा स्कूल इन्दिरापुरम के पास से चोरी किया था तथा अभियुक्तों की निशानदेही से बरामद अन्य 02 चोरी की मोटरसाइकिल को दिल्ली एनसीआर से चोरी किया था। दोनो अभियुक्त गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में दो पहिया वाहन चोरी करते हैं तथा चोरी किये हुए दो पहिया वाहनों को सुनसान जगह व झाड़ियों में छुपा कर रखते है तथा ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं। इसी क्रम में दोनों अभियुक्त चोरी के दो पहिया वाहनों को बेचने की फिराक में थें कि पुलिस में चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. अभिषेक त्यागी उर्फ गुल्लू पुत्र सत्यप्रकाश त्यागी निवासी म0न0 39 बाबा हेल्थ के पास मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष
2. मुकुल उर्फ कालू पुत्र कृष्ण कुमार त्यागी निवासी निकट माता चौक मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल व दोनों अभियुक्तों की निशानदेही से 02 अन्य चोरी की मोटर साइकिल (कुल 03 मोटर साइकिल) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1. गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक त्यागी उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर लूट-चोरी व चोरी का माल बरामद होने, आर्मस एक्ट, मारपीट-झगडा व अवैध वसूली, छेड़खानी, एनडीपीएस एक्ट आदि के कुल 09 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
2. गिरफ्तार अभियुक्त मुकुल उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा गाली गलौज, जान से मारने व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री से दहेज में स्कॉर्पियो गाडी की माँग करना, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना, जबरदस्ती कीडे मारने की दवा पिलाना व बलात्कार करने व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेवसिटी पर तत्काल सुसंगत धारा 85/115/(2)/352/ 351/123/64(1) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.09.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी सरकारी स्कूल के पास मौहल्ला शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को लालकुँआ के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि शादी में कम दहेज मिलने के कारण मेरे परिवार व मेरे द्वारा पत्नी को परेशान किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सुनील यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी सरकारी स्कूल के पास मौहल्ला शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी 50,000/- की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 26.09.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई धनराशि रु 50,000/- आवेदिका को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 26.09.2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की रु 50,000/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर साइबर सेल टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.09.25 को वादी द्वारा थाना लोनी पर तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री उम्र करीब 22 वर्ष को उसके पति द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करना तथा तलाक का नोटिस देने से छुब्ध होकर वादी की पुत्री द्वारा तेजाब पी लेना जिससे वादी की पुत्री की मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में वांछित अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.09.25 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त **आलिम उर्फ आलम पुत्र अख्तर निवासी अमन गार्डन मदीना मस्जिद के पास अशोक**

विहार लोनी गा0बाद उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त आलिम उर्फ आलम उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी मृतका रेशमा से वर्ष 2022 में शादी हुई थी। मैं कभी कभी अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था तथा एक दिन मेने तलाक का नोटिस भेज दिया था। जिससे छुब्ध होकर उसने तेजाब पी लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

आलिम उर्फ आलम पुत्र अख्तर निवासी अमन गार्डन मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गा0बाद उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 12 बोर व जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 26.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा रात्रिकालीन चेकिंग के दौरान पीआरवी की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र लोनी बॉर्डर के अम्बेडकर कालोनी से अवैध देशी तमंचा 12 बोर के साथ अभियुक्त सोनू पुत्र स्व राजकुमार सिंह नि0 अम्बेडकर कालोनी नियर शिव मन्दिर बेहटा हाजीपुर थाना हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह अवैध तमंचा मैं लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। मेरे भाई ने 112 पर सूचना दे दी और पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र स्व राजकुमार सिंह नि0 अम्बेडकर कालोनी नियर शिव मन्दिर बेहटा हाजीपुर थाना हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सोनू उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 20.09.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी पर नामजद अभियुक्त उस्मान व 01 अन्य द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट व चाकू से हमला करने के सम्बन्ध मे नामजद तहरीर दी गयी थी जिसके आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 115(2)/118(1)/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना के दौरन साक्ष्य संकलन के बाद मुकदमा उपरोक्त मे धारा ***109(1)/351(2)/115(2)/3(5) BNS*** मे तब्दील कर विवेचना प्रचलित की जा रही थी तथा अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.09.25 को उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को थाना लोनी के चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी द्वारा पूछताछ में बताया कि मेरे घर के पास मरकरी चौक प्रेमनगर पर वादी के पुत्र के साथ उस्मान व मेरी कहा सुनी हो गयी थी जिस पर हम दोनो ने चाकू से वादी के पुत्र पर हमला कर भाग गये थे।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को अभियुक्त दिपांशु उर्फ चीनू नि0 मेरठ द्वारा बहला फुसलाकर ले जाना, उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पीडिता की

मेडिकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(2)(i) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 26.09.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दीपाँशु उर्फ चीनू पुत्र मनोज नि0 ग्राम सीना थाना मवाना जिला मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष को पंचलोक तिराहा चौकी क्षेत्र मण्डौला से हिरासत पुलिस में लिया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त दिपांशु उर्फ चीनू उपरोक्त ने बताया कि मैं ट्रोनिका सिटी में पीडिता के मौहल्ला में 1.5 वर्ष पहले वेल्डिंग का काम करने आया था, तभी से मेरी पीडिता से जान पहचान हो गयी, इसके बाद मेरा इसके घर पर आना जाना हो गया और आपस में बातचीत शुरू हो गयी थी। मौका पाकर मैं पीडिता को अपने साथ लेकर चला गया तथा मैने पीडिता के साथ गलत काम किया। जब मुझे पता चला कि पीडिता के घरवालो ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है तो मै डर गया और मै पीडिता को छोडकर भाग गया। मै पुलिस से बचने के लिए बाहर जाने की फिराक में था कि पुलिस ने आज मुझे पकड लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

दीपाँशु उर्फ चीनू पुत्र मनोज नि0 ग्राम सीना थाना मवाना जिला मेरठ, उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त दिपांशु उर्फ चीनू उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

नन्दग्राम पिंक बूथ व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 ई रिक्शा बरामद।

दिनांक 25-09-25 को वादी श्री बिट्टू पुत्र श्री हरि सिंह नि0 गली नं0- 8 अम्बेडकर नगर ने थाना नन्दग्राम पर सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरा ई रिक्शा चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया गया, दिनांक 26-09-25 को पिंक बूथ प्रभारी राजनगर एक्सटेंशन रोटरी गोल से हिंडन मेट्रो की ओर जा रही थी बेटी बचाओं कट के पास 04 अज्ञात व्यक्ति 02 ई-रिक्शा को धक्का लगाते हुए हिन्डन रीवर मेट्रो स्टेशन की तरफ ले जाते हुये दिखे, जिनसे पिंक बूथ प्रभारी द्वारा ई-रिक्शा के विषय में पूँछताँछ की गयी तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हडबडाहट में उत्तर दिये गये, तो शक होने पर पिंकू बूथ प्रभारी द्वारा थाना नन्दग्राम से अन्य पुलिस बल को तलब कर, पुलिस बल की मदद से राणा जी की प्याऊ के पास से 04 अभियुक्तों को मय चोरी की 02 ई रिक्शा के साथ मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशान देही पर 05 अन्य ई-रिक्शा, कुल 07 ई रिक्शा की बरामदगी की गयी। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने बताया कि हमारे पास दोनो वाहन चोरी के है जिन्हे हम आज बेचने के लिये ले जा रहे थे।यह ई-रिक्शा रजि0 नं0 UP14LT1025 को सिहानी चुंगी से चोरी की थी तथा दुसरी ई-रिक्शा रजि0 नं0- UP16NT2753 को हमने मिलकर चोरी की थी ,और पूछताछ में बताया की साहब हम लोगों ने और 05 ई- रिक्शा चोरी की जो नन्दीपार्क के पीछे झाडियों में हिन्डन नदी के पास छुपा रखी हैं व उनकी बैटरी व उनके पहिये राह चलते लोगो को बेचकर अपने शौक व खर्च पूरे करने के लिए चोरी का कार्य करते है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. रोहित कुमार पुत्र श्री रामऔतार निवासी ददियाखेडा खण्डशरा थाना महिलाहाबाद लखनऊ हाल निवासी शिव मंदिर के पास सिहानी गांव थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष
2. मिथुन कुमार पुत्र महेश राय निवासी ग्राम सरारंजन तहसील समस्तीपुर बिहार हाल निवासी सेक्टर 23 संजय नगर थाना मधुबन बापू धाम गाजियाबाद उम्र-26 वर्ष
3. विमल कुमार पुत्र विजेन्द्र कुमार निवासी बेरा थाना खुरीद जनपद मथुरा हाल निवासी डी ब्लाक नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-24 वर्ष
4. वीशु शर्मा पुत्र मनोज शर्मा निवासी ग्राम गेसुपुर थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी गोल्डन त्यागी वाटर प्लान्ट के पास सिहानी गांव थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र—18वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.मिथुन कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग व थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है।

2. विमल कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग चोरी का, थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग चोरी व 01 अभियोग आर्म एक्ट व थाना इन्द्रपुरम पर 01 अभियोग आबकारी अधि0, कुल 04 पंजीकृत है

3.रोहित कुमार के विरुद्ध थाना थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है।

4.वीशु शर्मा के विरुद्ध थाना थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

1) ई रिक्शा रजि0नं0 **UP14LT1025**
2) ई रिक्शा रजि0नं0 **UP16NT2753**
3) ई रिक्शा रजि0नं0 **UP14LT7537**
4) ई रिक्शा रजि0नं0 **UP14MT6817**
5) ई रिक्शा रजि0नं0 **UP14MT3904**
6) ई रिक्शा पर चैसिस न0 MD9SEVUE1HD782242
7) ई रिक्शा रजि0नं0 **- UP14LT9731**

गिरफ्तार करने वाली टीम-

नन्दग्राम पिंक बूथ व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में महिलाओं के साथ हुई स्नैचिंग व लूट की घटनाओं के अनावरण व अपराध की रोकथाम हेतु उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण में स्नैचिंग व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु आज दिनांक 26.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा कनावनी पुलिया पर चेंकिंग की जा रही थी तभी हिण्डन बैराज की तरफ आ रही एक मोटर साइकिल पर सवार युवक को रुकने का इशारा किया गया परन्तु मोटर साइकिल सवार युवक नही रुका तथा मोटर साइकिल को तेजी से पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल का सन्तुलन बिगड जाने पर कुछ ही दूरी पर मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी। मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति को पकडने का प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति ने अंटी से तमंचा निकाल कर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर सीधा फायर कर दिया, पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुये बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायर कर रहे बदमाश पर जवाबी फायर किया गया तो गोली चलाने वाले बदमाश सुहेब उर्फ सुहेल पुत्र बुन्दा खाँ निवासी ग्राम रहीसपुर थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद के पैर में गोली लग गयी। जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया। जिसे पुलिस द्वारा बैराज की ओर जाने वाले छोटी नहर की पटरी पर से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त सुहेब उर्फ सुहेल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने यह मोटर साइकिल कविनगर क्षेत्र से कुछ दिन पहले चोरी की थी। अभियुक्त उपरोक्त गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में राह चलते लोगों से मोबइल व चैन स्नेचिंग कर दिल्ली में सस्ते दामों में बेचकर देता है और उन पैसों को अपने शौक मौज में खर्च कर देता है। कुछ दिन पहले अभियुक्त उपरोक्त ने थाना क्षेत्र इन्दिरापुरम से 01 चेन स्नेचिंग की घटना कारित की थी। आज भी अभियुक्त चैन लूटने के इरादे से यहाँ आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सुहेब उर्फ सुहेल पुत्र बुन्दा खाँ निवासी ग्राम रहीसपुर थाना मधुवन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त सुहेब उर्फ सुहेल उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में लूट, छिनैती/स्नेचिंग, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि से सम्बन्धित करीब आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।